प्राक्कथन

1. यह प्रतिवेदन शहरी स्थानीय निकायों के लेखों की लेखापरीक्षा पर भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के तकनीकी दिशा निर्देशन एवं पर्यवेक्षण (टी0जी0एस0) के निर्बन्धनों के अनुसार उत्तर प्रदेश शासन को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है, जैसा कि ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा विचार किया गया था।

2. इस प्रतिवेदन में तीन अध्याय हैं। अध्याय–1 में राज्य के शहरी स्थानीय निकायों के विभिन्न स्तरों के लेखों पर प्रेक्षण एवं टिप्पणियों सहित उनके क्रियाकलापों का संक्षिप्त परिचय है तथा अध्याय–2 में निगमों में सफाई और ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन पर समीक्षा और अध्याय–3 में इन निकायों के निरीक्षण पर आधारित लेखापरीक्षा टिप्पणियॉ है।

3- प्रतिवेदन में उद्धृत प्रकरण वे हैं जो वर्ष 2005–06 के दौरान एवं पूर्ववर्ती वर्ष के लेखों की नमूना लेखापरीक्षा/निरीक्षण के क्रम में प्रकाश में आये थे। अप्रैल 2005 से मार्च 2006 की अवधि में 5 नगर निगमों, 16 नगर पालिका परिषदों एवं 32 नगर पंचायतों के लेखे व अन्य अभिलेख निरीक्षित किए गए थे। सभी 5 नगर निगमों और 16 नगर पालिका परिषदों की नमूना लेखापरीक्षा नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के (अधिकार, शक्तियॉ एवं सेवा शर्तो) अधिनियम, 1971 की धारा 20(1) के अधीन सम्पादित की गयी थी।